राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 4(15)शिक्षा–1 / मॉ.स्कूल 2017 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 19.8.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत्।

प्रसंगः– पत्रांकःरा.स्कूल शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / संस्थापन / ई.सी.जी.सी. / 75039–II / 19889 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा– 11 के लिए प्रवेश हेतु विभाग के पत्रांकः प. 4(15)शिक्षा–1 / 2015 जयपुर दिनांक 30.03.2017 के अनुसार जारी प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 3.0 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल / मॉडल स्कूल / अन्य मान्यता बोर्ड से संबद्ध स्कूल	प्रवेश नीति में कक्षा–11 में विज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जाने हेतु कक्षा–10 में न्यूनतम प्राप्तांक			
		गणित संकाय के लिए		जीव विज्ञान संकाय के लिए	
		समेकित	गणित	समेकित	विज्ञान
1.	मॉडल स्कूल हेतु	प्रतिशत की बाध्यता नहीं			
2	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण	कक्षा–11 में सीट्स खाली रहने की स्थिति में समय–समय पर पत्रावली प्रस्तुत कर प्रवेश हेतु निर्धारित प्रतिशत में आवश्यकतानुसार छूट लिया जाना।			
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण				

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव,प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

19.8.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा